न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– उत्पाद अधिहरण वाद सं0–147/2017–18 राज्य बनाम अरविन्द यादव

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
06.03.2018.	**आदेश** पुलिस अधीक्षक खगड़िया के पत्रांक 3928/हि0शा0, दिनांक 18.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत मुफसिल थाना कांड सं0–660/2017 दिनांक 26.09.2017 में वादी स0अ0 नि0 श्री सरोज कुमार सिंह, मुफसिल थाना के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम बड़ी कोठिया स्थित त्रिदेव चिमनी भट्ठा के ऑफिस के ईट एवं एस्बेस्टस से बने रूम में एक प्लास्टिक के बोरा में रखा हुआ रॉयल स्टेग कम्पनी का शीलबन्द 375 एम0एल0 का कुल 12 (बारह) पीस एवं ब्लैक कम्पनी का 180 एम0एल0 का कुट के डिब्बा में पैक 20 (बीस) पीस जप्त किया गया। जप्त ईट एवं एस्बेस्टस से बने रूम का उपयोग विदेशी शराब लाकर खरीद–बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त ईट एवं एस्बेस्टस से बने रूम को अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ तलासी सह जप्ती सूची पुलिस निरीक्षक, नगर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। अभिलेख में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–30(ए) के अन्तर्गत तलाशी–सह–जप्ती सूची की प्रारंभक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है, जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती सूची के अनुसार ग्राम बड़ी कोठिया स्थित त्रिदेव चिमनी भट्ठा के बने ईट एस्बेस्टस (करकट) के रूम थाना मुफसिल, जिला–खगड़िया से एक प्लास्टिक के बोरा में रखा हुआ रॉयल स्टेग कम्पनी का सीलबन्द 375 एम0एल0 का 12 पींस तथा कुट के डिब्बा में पैक कुल 20 विदेशी शराब ब्लैक कम्पनी का बरामद हुआ। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर	

अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।

विपक्षी अरविन्द यादव पे0–रामोतार यादव, साकिन–बड़ी कोठिया, थाना–मुफसिल, जिला–खगड़िया के विरुद्ध डी0बी0नं0–502 दिनांक 30.12.17 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0 नं0 504/विधि, दिनांक 30.12.2017 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया को अपने अधिनस्थ थाना के माध्यम से तामिला कराने हेतु भेजा गया।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 90 दिनांक 13.01.2018 से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा समर्पित किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि जिस घटना स्थल का जिक्र उक्त घटना में किया गया है एवं जिस मकान का जिक्र किया गया है उस स्थान एवं घटना स्थल पर किसी प्रकार का कोई भी उनका ईट और एस्बेस्टस का कोई मकान न तो था न ही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उनके त्रिदेव ईट उद्योग का क्षेत्र बिल्कुल खुला एवं खाली स्थान है और वहाँ पर उनका कार्यालय छतदार मकान है। ईट पड़ाई का कार्य जिस स्थान पर होता है वह बिल्कुल खाली एवं बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसे पूरी क्षेत्र पर रखवाली करना संभव नहीं है। उनके द्वारा कारण पृच्छा को स्वीकृत करते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इनकी लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि इस वाद में विपक्षी को कोई अभिरूचि नहीं है तथा इसमें और कुछ उन्हें नहीं कहना है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3928/हि0शा0, दिनांक 18.11.2017 के साथ संलग्न अधिहरण प्रस्ताव स0अ0नि0 सरोज कुमार सिंह, मुफसिल थाना के प्रतिवेदन एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बड़ी कोठिया स्थित त्रिदेव चिमनी भट्ठा के बने ईट एस्बेस्टस के रूम, थाना मुफसिल, जिला–खगड़िया में छापामारी की गयी तो छापामारी में एक प्लास्टिक के बोरा में रखा हुआ रॉयल स्टेग कम्पनी का शीलबन्द 375 एम0एल0 का कुल 12 (बारह) पीस एवं ब्लैक कम्पनी का 180 एम0एल0 का कुट के डिब्बा में पैक 20 (बीस) पीस जप्त किया गया।

उक्त पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त अधिहरण में उक्त मकान का उपयोग शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था। जो

वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त मकान अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत ईट एस्बेस्टस से बने रूम से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत रूम को अधिनियम की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारोबार करना बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत ईटएस्बेस्टस से बना रूम बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:–

1. इस अपराध में उपयोग में लाये गये ईट एस्बेस्टस से बने रूम जो सील बन्द किया हुआ है, को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधनियम–2016 की धारा 58 (2)के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला ईट एस्बेस्टस से बने रूम किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।
2. कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे सील बन्द ईट एवं एस्बेस्टस का उचित मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया
6/3/18

समाहर्त्ता
खगड़िया 6/3/18

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 न0......95........../विधि, दिनांक 13/03/2018 प्रतिलिपिः– उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/ कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 13/3/18	